न्यायालय अंचल अधिकारी, सतगावां (कोडरमा)

विविध वाद संख्या–...05..../2019-20

प्रसंगः– श्रीमती शांति देवी बनाम श्री शंभु यादव बगैरह

21.01.2020

आवेदिका श्रीमती शांति देवी, पति–श्री द्वारिका हजाम, साकिन–खुट्टा, थाना–सतगावां, जिला–कोडरमा के भूमि मौजा हलकुशा, थाना सं0–92, खाता सं0–18, प्लॉट सं0–96, रकवा–0.09 एकड़ पर श्री शंभु यादव बगैरह पिता–चन्द्रिका यादव, ग्राम–कलीडीह, थाना–सतगावां, जिला–कोडरमा के द्वारा वॉन्ड्रीवाल देना एवं अवैध रूप से कब्जा किये जाने से संबंधित भूमि पर अवैध दखल कब्जा से मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच कराई गई। जाँचोपरांत राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न निबंधित केवाला संख्या अपठनीय दिनांक 22.03.81 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लेख्यकारिनी मो0 शनिचरी, पति–मुंडील रजवार, साकिन–कलीडीह के द्वारा बताया गया कि लेख्यकारी शांति देवी, पति–द्वारिका हजाम, साकिन–खुट्टा के नाम से मौजा हलकुशा थाना सं0–92, खाता सं0–18, प्लॉट सं0–96, रकवा–0.09 एकड़ भूमि विक्रय पत्र के द्वारा खरीदगी से हासिल है।

आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से जाँच किया गया। जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त मौजा के स्थल पर उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि उक्त आवेदित भूमि पर वर्तमान समय में विनोद कुमार वो दिपेश कुमार वो संदीप कुमार वो मुकुल कुमार, पिता–चन्द्रिका प्रसाद का दखल–कब्जा है। उपस्थित लोगों से पुछताछ करने पर बताया गया कि वर्तमान समय में आपत्तिकर्त्ता यहाँ उपस्थित नहीं है।

स्थल जाँच के क्रम में स्थल पर उपस्थित चन्द्रिका प्रसाद यादव, पिता–स्व0 महावीर प्रसाद उर्फ दुखी प्रसाद के द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि यथा मौजा हलकुशा, थाना सं0–92, खाता सं0–18, प्लॉट सं0–96, रकवा–0.12 एकड़ भूमि केवाला सं0–958, दिनांक 21.02.2004 के विक्रेता श्री ज्वाला राम, पिता–स्व0 भादो राम, वो श्रीमती सरोज देवी, पति–श्री दिनेश कुमार, साकिन+पो0–नन्दुडीह, थाना, सतगावां, जिला–कोडरमा से लेख्यकारी श्री विनोद कुमार वो श्री दिपेश कुमार वो संदीप कुमार वो मुकुल कुमार, पिता–चन्द्रिका प्रसाद यादव वो श्री अनुज कुमार, पिता–श्री अर्जून प्रसाद, साकिन–कलीडीह थाना–सतगावां को हासिल है। जिसका जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0–17/2 पर दर्ज है तथा लगान रसीद वित्तीय वर्ष 2013–14 तक निर्गत है।

उपस्थित चन्द्रिका प्रसाद यादव के द्वारा अपने दावे के सर्मथन में निबंधित केवाला सं0–958, दिनांक 21.02.2004 कि छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।

उक्त केवाला के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निबंधित केवाला सं0–958 दिनांक 21.02.2004 के विक्रेता ज्वाला राम, पिता–स्व0 भादो राम वो सरोज देवी, पति–दिनेश कुमार को उक्त खाता एवं खेसरा की भूमि निबंधित केवाला सं0–16990 दिनांक 09.06.71 के क्रेता ज्वाला राम वो दिनेश कुमार, पिता–भादो राम तथा केवाला सं0–5521, दिनांक 29.03.73 के क्रेता भादो राम, पिता–मुंशी राम को खरीदगी से हासिल है।

निबंधित केवाला सं0–958 दिनांक 21.02.2004 के सम्पत्ति कॉलम में वर्णित निबंधित केवाला सं0–16990 दिनांक 09.06.71 की प्रस्तुत छायाप्रति के विकेता फौदी रजवार वल्द झरी रजवार, दोदी मांझी खतियानी रैयत के वंशज है, जिनके द्वारा विकेता ज्वाला राम वो दिनेश कुमार, पिता–भादो राम के नाम से खाता सं0–18, प्लॉट सं0–96, रकवा–0.06 एकड़ भूमि विक्रय किया गया था। उक्त खरीदगी भूमि को केता ज्वाला राम, पिता–स्व0 भादो राम वो सरोज देवी, पति–दिनेश कुमार, साकिन–नन्दुडीह के द्वारा केवाला सं0–958, दिनांक 21.02.2004 के द्वारा श्री विनोद कुमार वो दिपेश कुमार वो संदीप कुमार वो मुकुल कुमार, पिता–चन्द्रिका प्रसाद यादव एवं अनुज कुमार, पिता–अर्जून प्रसाद को विक्रय किया गया है। जिसके अनुसार इनलोगों का खरीदगी भूमि पर दखल–कब्जा है।

प्रस्तुत केवाला सं0–5521, दिनांक 29.03.73 के विकेता श्रीमती शनिचरी देवी, पति–मुंडील रजवार के द्वारा खाता सं0–18, प्लॉट सं0–96, रकवा–0.06 एकड़ भूमि भादो राम, पिता–मुंशी राम के नाम से विकी किया जा चूका था तो पुनः शनीचरी पति–मुंडील रजवार के द्वारा वर्ष 1981 में आवेदिका शांति देवी, पति–द्वारिका हजाम, साकिन–खुट्टा के नाम से विकी किया जाना न्याय संगत प्रतित नहीं होता है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत खाता एवं खेसरा कि भूमि पर वर्त्तमान समय में प्रथम द्रष्टया घर बना हुआ है, जिसमें श्री चन्द्रिका प्रसाद यादव के पुत्रों के द्वारा दुकान चलाया जा रहा है।

स्थानीय लोगों के द्वारा खाता सं0–18 के खतियानी रैयत दोदी मांझी का वंशवृक्ष निम्न प्रकार से बताया गया है:–

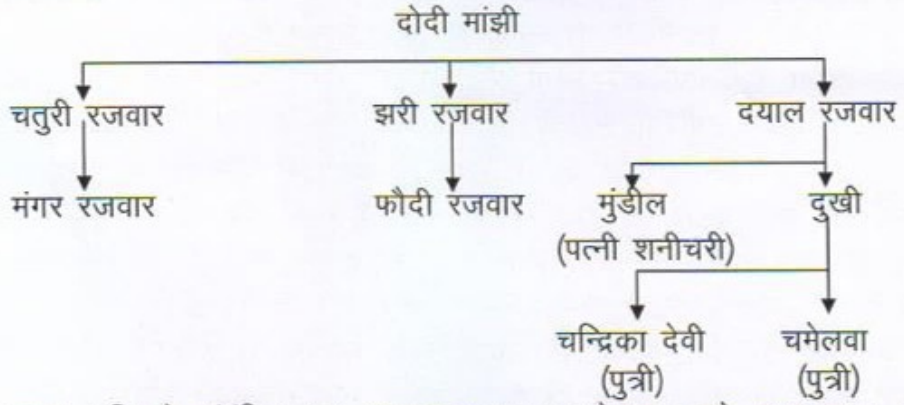

उक्त भूमि से संबंधित मूल कागजात का अवलोकन करने तथा उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 08/02/2020 को उपस्थापित करें।

21/01/2020

अंचल अधिकारी,
सतगावां।

न्यायालय अंचल अधिकारी, सतगावां (कोडरमा)

विविध वाद संख्या– 05 /2019–2020

प्रसंगः– श्रीमती शांती देवी बनाम श्री शंभु यादव वगैरह

आदेश

-2-20 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

प्रथम पक्ष अनुपस्थित। अंचल कार्यालय के अनुसेवक श्री विजय कुमार के द्वारा ग्राम–खुट्टा जाकर प्रथम पक्ष को नोटिस देने गये एवं ग्रामीणों से पूछ–ताछ किये पता चला कि द्वारिका हजाम सभी परिवार के साथ कलकत्ता में रहते हैं जिसके कारण प्रथम पक्ष को नोटिस तामिला नहीं हो पाया।

द्वितीय पक्ष उपस्थित। उपस्थिति आवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने पक्ष में केवाला सं0–25389, दिनांक 02.05.1983 एवं रसीद 2019–20 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। पुनः दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजात की मांग करें।

दिनांक 23.02.20 को उपास्थापित करें।

08/02/2020

अंचल अधिकारी,
सतगावां।

3.02.20 प्रस्तुत वाद विविध वाद संख्या 05/2019–20 प्रसंगः–श्रीमती शांती देवी बनाम श्री शंभु यादव **वगैरह** दिनांक 21–01–2020 से चल रही है। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद दोनों पक्षों में दखल–कब्जा एवं तनाव की स्थिति का निपटारा हेतु प्रारंम्भ किया था। अभिलेख काफी दिनों से चला आ रहा है। वर्तमान समय में दोनों पक्षों में उक्त भूमि को लेकर किसी तरह का कोई विवाद होने की सूचना नहीं है और न ही दोनों पक्षों के द्वारा विवाद होने संबंधी आपत्ति आवेदन ही प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में वाद पर आगे की कार्यवाही चलाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। अतएव वाद की कार्रवाई बिना कोई गुण-दोष का समाप्त किया जाता है।

उक्त पारित आदेश से किसी पक्ष को कोई आपत्ति हो तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। इस आदेश के साथ अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

23/02/2020

अंचल अधिकारी,
सतगावां।

23/02/2020

अंचल अधिकारी,
सतगावां।

Digitally signed by BAIDYANATH ORAON
Date: 2022.08.25 13:49:36 +05:30
Location: 192.168.131.83